



मुख्यआवासाधिकारी कार्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

डॉ.आई. यू. खान

मुख्यआवासाधिकारी (छात्र)

क्रं.सं. मु.आ./2021/2213

कार्यालय : 0141-2709165

दिनांक: 13/03/2021

आवश्यक सूचना

छात्रावास केन्द्रीय प्रवेश समिति की अनुशंसा के अनुसार छात्रावास में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले सभी शोधार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपना शोध निर्देशक प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष से अग्रेषित करवाकर दिनांक 19.03.2021 तक मुख्य आवासाधिकारी कार्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में आवश्यक रूप से जमा करवा दें (प्रारूप संलग्न) ताकि प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

मुख्य आवासाधिकारी

क्रं.सं. मु.आ./2021/ 2214-2217

दिनांक: 13/03/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. समस्त आवासाधिकारी (शोध छात्रावास), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से निवेदन है कि सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
3. निजी सचिव कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

मुख्य आवासाधिकारी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी श्री.....पुत्र श्री.....
.....मेरे निर्देशन में शोध कार्य कर रहे हैं जिसका शोध विषय.....
.....है। उक्त शोधार्थी की डीआरसी दिनांक.....को हो चुकी है
जिसका शोध पंजीकरण संख्या.....है अथवा शोध पंजीकरण
वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर मय सील
शोध निर्देशक का नाम.....
विभाग.....
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित

प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी श्री.....प्रो./डॉ.....
.....राजस्थान विश्वविद्यालय के विभाग.....
.....के निर्देशन में अपना शोध कार्य कर रहे हैं।

दिनांक.....

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष मय सील